डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर,मंगलवार, दिनांक 9 जनवरी 2001—पौष 19, शक 1922

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2000

अधिसूचना

क्रमांक 669/सा. प्र. वि./2000.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक-512/सा. प्र. वि./2000 दिनांक 18-12-2000 में आंशिक संशोधन करते हुए, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर के स्थान पर सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलको , उप-सचिव.

Raipur, the 27th December 2000

NOTIFICATION

No. 669/G.A.D./2000.—Partial amendment to the Departmental Notification No. 512/G.A.D./2000 Dated 18-12-2000 as follows :—

Please read Assistant Superintendent of Police, Bilaspur in place of Assistant Inspector General of Police, Bilaspur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
STEPHAN KHALKHO, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.